प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

द्वितीय अपील क्रमांक 11/2001

श्रीमती सावित्रीबाई, पति मातादीन, उम्र लगभग 45 वर्ष, निवासी कोटगढ़, तहसील एवं जिला जांजगीर–चांपा (छ.ग.)

(प्रतिवादी) /

---- अपीलार्थी

बनाम

1. विशेषर सिंह, पिता मदन सिंह, उम्र लगभग 50 वर्ष,

2. अराजबाई पिता मदनसिंह, उम्र लगभग वर्ष,

दोनो कोटगढ़, तहसील एवं जिला जांजगीर–चांपा (छ.ग.) के निवासी है।

3. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा कलेक्टर, जांजगीर–चांपा (छ.ग.)

---उत्तरवादीगण

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अपीलार्थी हेतु : श्री सौरभ शर्मा एवं श्री तारकेश्वर नंदे, अधिवक्ता।

उत्तरवादी क्रमांक 1 हेतु : श्री मनोज परांजपे एवं श्री अनुराग सिंह,अधिवक्ता।

उत्तरवादी क्रमांक 3/राज्य हेतु : श्री अरुण साव, उप महाधिवक्ता।

माननीय न्यायमूर्ति श्री संजय के. अग्रवाल

बोर्ड पर निर्णय

17/09/2018

1. प्रतिवादी की द्वितीय अपील में अंतर्वलित, विनिर्मित तथा विनिश्चय हेतु उत्तर दिए जाने वाले विधि का सारवान प्रश्न निम्नानुसार है: –

"क्या प्रथम अपीलीय न्यायलय द्वारा मात्र स्वामित्व और निषेधाज्ञा की घोषणा के लिए दायर वाद में पक्षकारों का हिस्सा निर्धारित करना न्यायोचित था? "

(सुविधा के लिए, पक्षकारों को विचारण न्यायालय में दर्शाई गई उनकी स्थिति के अनुसार संदर्भित किया जाएगा।)

2. वादी ने यह घोषित करने के लिए वाद दायर किया कि वादी और प्रतिवादी आदिवासी जनजाति के सदस्य हैं और हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम उन पर लागू नहीं होता है और वादी और प्रतिवादी क्रमांक 2 शीर्षक धारक हैं और प्रतिवादी क्रमांक 1 और 3 के पास वाद की भूमि पर कोई शीर्षक नहीं है और उन्होंने स्थायी निषेधाज्ञा के लिए भी प्रार्थना की। वाद को विचारण न्यायालय ने कोई योग्यता नहीं पाते हुए खारिज कर दिया, जिसके विरुद्ध प्रथम अपील प्रस्तुत की गई थी। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अपील को स्वीकार कर लिया और शीर्षक की घोषणा के लिए वाद को विभाजन के लिए वाद में बदल दिया और डिक्री की अनुसूची–1 के अनुसार विभाजन के लिए डिक्री दी, जिसके विरुद्ध वर्तमान द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई है और विधि का पर्याप्त प्रश्न तैयार किया गया है जिसे इस निर्णय के शुरुआती पैरा में निर्धारित किया गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. अपीलार्थी/प्रतिवादी क्रमांक 3 के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि स्वामित्व की घोषणा और निषेधाज्ञा के लिए दायर वाद में, विभाजन के लिए कोई डिक्री नहीं दी जा सकती है, जिसका वादी/प्रतिवादी क्रमांक 1 के विद्वान अधिवक्ता ने विरोध किया है।

4. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना हैं और उनके परस्पर विरोधी प्रस्तुतियों पर विचार किया है तथा अभिलेखों का अत्यंत सावधानी से अध्ययन किया है।

5. यह सत्य है कि स्वामित्व की घोषणा और स्थायी निषेधाज्ञा के लिए वाद दायर किया गया था जिसे विचारण न्यायालय ने खारिज कर दिया था और प्रथम अपीलीय न्यायालय ने स्वामित्व के वाद को विभाजन के वाद में परिवर्तित कर दिया और विभाजन की डिक्री इस प्रकार दी: –

(20) उक्त संबंध में वादी, प्रतिवादी क्र. 2 एवं प्रतिवादी क्रं. 1 एवं 3 का वादगत भूमि में किस सीमा तक हिस्सा है का निर्धारण करना होगा जैसा कि पूर्वगामी निष्कर्ष दिया गया कि पैतृक संपत्ति और उत्तराधिकार के संबंध में सामान्य–हिन्दू विधि से शासित होंगे, उक्त परिस्थितियों में मृतक मदन सिंह की मृत्यु सन 1956 के पश्चात हुई है, यदि स्व० मदन सिंह के जीवनकाल में ही पैतृक संपत्ति का काल्पनिक बंटवारा किया गया होता तो स्व० मदन सिंह को वादगत भूमि का 1/3 हिस्सा, वादी विशेषर को 1/3 हिस्सा एवं विधवा जामबाई को 1/3 हिस्सा प्राप्त होता। इस प्रकार मृतक मदन सिंह की मृत्यु के पश्चात वादगत भूमि का

1/3 हिस्से को उसके पुत्र विशेषर सिंह एवं विधवा को 1/3 हिस्सा के पश्चात मृतक मदन सिंह के 1/3 हिस्से का 1/4 –1/4 हिस्सा अर्थात वादी विशेषर सिंह को 1/3+ 1/12, प्रतिवादी क्रं. 2 विधवा जामबाई को 1/3+ 1/12 एवं पुत्रियों प्रतिवादी कं. 1 अरजबाई को 1/12 एवं प्रतिवादी क्रं. 3 सावित्रीबाई को 1/12 चूंकि मदन सिंह की विधवा प्रति. क्रं. 2 जामबाई की मृत्यु दिनांक 27.8.99 को हो गयी है इसलिए मृतक मदन सिंह की विधवा जामबाई को वादगत भूमि से प्राप्त हिस्से 1/3+ 1/12 का 1/3 हिस्सा अर्थात 5/36 वादी विशेषर सिंह प्राप्त करेगा एवं प्रतिवादी कं. 1 एवं 3 भी 5/36– 5/36 प्राप्त करेंगे ।

6. **बछज नाहर बनाम नीलिमा मंडल और एक अन्य**[1] के प्रकरण में उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित किया है कि बिना अभिवचन और प्रतिवादी को सुनवाई का अवसर दिए कोई भी डिक्री नहीं दी जा सकती। यह निम्नानुसार देखा गया है: –

"23. यह मौलिक है कि सिविल वाद में, दी जाने वाली अनुतोष केवल अभिवचनों में की गई प्रार्थनाओं के संदर्भ में ही दी जा सकती है। इसके अलावा, सिविल वादों में, अनुतोष प्रदान करना विभिन्न कारकों जैसे न्यायालय शुल्क, सीमा, वादों के पक्षकारों, तथा अनुतोष को रोकने वाले आधारों, जैसे कि न्यायनिर्णय, रोक, स्वीकृति, कार्यवाही के कारणों या पक्षकारों का गैर–संयुक्तीकरण, आदि द्वारा सीमित होता है, जिसके लिए अभिवचन और साक्ष्य की आवश्यकता होती है। इसलिए, यह मानना खतरनाक होगा कि सिविल वाद में जो भी अनुतोष मांगी गई है, न्यायालय तथ्यों की जांच करने के बाद कोई भी अनुतोष दे सकता है, जैसा कि वह उचित समझे। एक लाख रुपये की वसूली के वाद में न्यायालय दस लाख रुपये की डिक्री नहीं दे सकता। संपत्ति 'अ' के कब्जे की वसूली के वाद में न्यायालय संपत्ति 'ब' का कब्जा नहीं दे सकता। स्थायी निषेधाज्ञा के लिए प्रार्थना करने वाले वाद में न्यायालय घोषणा या कब्जे की अनुतोष दे सकता है। अनुतोष देने का अधिकार क्षेत्र सिविल वाद में निर्णय अनिवार्य रूप से अभिवचनों, प्रार्थना, अदा की गई न्यायालय फीस, दिए गए साक्ष्य आदि पर निर्भर करता है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा स्वामित्व के लिए दायर वाद को विभाजन के लिए दायर वाद में बदलने के लिए विभाजन की डिक्री प्रदान करना बिल्कुल अनुचित है। बछज नाहर (पूर्वोक्त) में विधि के सिद्धांत का पालन करते हुए, प्रथम अपीलीय न्यायालय के निर्णय और डिक्री को अपास्त किया जाता है। हालांकि, वादी को सलाह दिए जाने पर विभाजन के लिए वाद दायर करने का अधिकार है। परिणामस्वरूप, विधि के महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर तदनुसार दिया जाता है।

1 2008) 17 SCC 491

8. द्वितीय अपील को ऊपर दर्शाई गई सीमा तक स्वीकार किया जाता है। व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं।

9. तदनुसार डिक्री तैयार की जाए।

सही/–

(संजय के. अग्रवाल)

न्यायाधीश

(Translation has been done with the help of AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur